प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 30 /2024
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002
दिनांकः जुलाई 3 , 2024

विषयः विशेष अनुज्ञा याचिका(क्रिमिनल) संख्या-10536/2023 सनुज बंसल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 30.04.2024 के क्रम में विवेचना के दौरान अभियुक्तों / सह-अभियुक्तों के अपराध के स्वीकारोक्ति सम्बन्धी कथनों के आधार पर, बिना पुष्टिकारक साक्ष्य संकलित किये, आरोपपत्र न्यायालय न प्रेषित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

अपराधों की गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी विवेचना सुनिश्चित करने के मार्गदर्शक सिद्धान्त इस मुख्यालय द्वारा वर्ष-2021 में जारी विवेचना हस्तपुस्तिका एवं पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित डीजी परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये हैं, जिनमें विस्तृत रूप से यह अंकित किया गया है कि विभिन्न प्रकृति के अपराधों की विवेचना किस प्रकार सम्पादित की जायेगी और विवेचना के दौरान किन सावधानियों और बारीकियों को ध्यान में रखा जायेगा। इस मुख्यालय स्तर से विवेचना की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु लगातार निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनका अनुपालन करते हुये गम्भीर अपराधों की विवेचना में और अधिक सुधार लाया जाना अपेक्षित है।

डीजी परिपत्र सं0-26/2024 दि0-06.06.2024
डीजी परिपत्र सं0-10/2024 दि0-07.03.2024
डीजी परिपत्र सं0-21/2023 दि0-15.06.2023
डीजी परिपत्र सं0-40/2021 दि0-20.10.2021
डीजी परिपत्र सं0-36/2021 दि0-23.09.2021
डीजी परिपत्र सं0-28/2021 दि0-19.08.2021
डीजी परिपत्र सं0-24/2020 दि0-28.07.2020
डीजी परिपत्र सं0-53/2019 दि0-19.12.2019
डीजी परिपत्र सं0-01/2019 दि0-22.01.2019
डीजी परिपत्र सं0-06/2018 दि0-19.02.2018

2- विशेष अनुज्ञा याचिका(क्रिमिनल) संख्या-10536/2023 सनुज बंसल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य सम्बन्धित मु.अ.सं. 596/2021 धारा-272,273,304 भादवि व 60(ए) उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, थाना-ताजगंज, कमिश्नरेट आगरा में पारित आदेश दिनांकित 30.04.2024 में अभियुक्तों के विरुद्ध मात्र अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपपत्र प्रेषित किये जाने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधोहस्ताक्षरी को शपथपत्र के माध्यम से इस बिन्दु पर उ0प्र0 पुलिस द्वारा अपनाई जा रही नीति से अवगत कराने हेतु निम्नवत निर्देशित किया गया है–

> We find that so called statements of the accused which are allegedly recorded during interrogation are forming part of the charge-sheet. Some of them are in the nature of alleged confessional statements. Prima facie, this is illegal.
>
> We direct the Director General of Police of the State of Uttar Pradesh to look into this and file a personal affidavit dealing with practice of incorporating statement of the accused in the charge-sheet which includes confessional statements made before the police.
>
> The Director General of Police shall state whether this practice prevails in the State of Uttar Pradesh. The said affidavit shall be filed within six weeks.

.....2

3- यह सर्वविदित है कि अभियुक्तों / सह-अभियुक्तों द्वारा अपराध किये जाने की स्वीकारोक्ति सम्बन्धी पुलिस को दिये गये बयान साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को न्यायालय में प्रमाणित करने हेतु विधिक रूप से ग्राह्य प्रमाणिक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। बिना पर्याप्त साक्ष्य संकलन के मात्र अभियुक्तों / सह-अभियुक्तों द्वारा दिये गये स्वीकारोक्ति सम्बन्धी कथनों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप न्यायालय में प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, जिसका लाभ अंततः अभियुक्तों को ही मिलता है।

4- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि विवेचना के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से निर्गत विवेचना हस्तपुस्तिका तथा पूर्व में निर्गत परिपत्रों का गहनता से अध्ययन कर लें तथा अपने-अपने कमिश्नरेट/जनपद के विवेचकों को विवेचना की बारीकियों से परिचित कराने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करें। समस्त कमिश्नरेट/जनपद प्रभारियों तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि कोई आरोपपत्र मात्र अभियुक्तों / सह-अभियुक्तों के अपराध करने की स्वीकारोक्ति सम्बन्धी विवेचक/पुलिस को दिये गये वयान को आधार बनाकर न्यायालय न प्रेषित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आरोपपत्र में लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा पुष्टिकारक एवं ग्राह्य साक्ष्य संकलित किया गया है। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

3.7.2

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
7. पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था),उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।